छत्तीसगढ़ शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक /8/2014

क्रमांक एफ 5–80/2013/तक.शि./42 :: राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज हेतु संलग्न मानव संसाधन योजना की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ इस स्वीकृति पर वित्त विभाग की नस्ती क्रमांक एफ 2014–42–00050/ब–3/चार, दिनांक 8.8.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस. के. तिवारी)
अवर सचिव
0771–2510140

पृष्ठां क्रमांक एफ 5–80/2013/तक.शि./42 नया रायपुर, दिनांक 30/8/2014

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित :–

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

2 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़, रायपुर

3 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को वित्त विभाग के नस्ती एफ 2014–42–00050/ब–3/चार, दिनांक 8.8.2014 के संदर्भ में

4 आयुक्त–सह–संचालक, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज, रायपुर

6 जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर

7 मास्टर फाईल तकनीकी शिक्षा विभाग

सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस. के. तिवारी)
अवर सचिव
0771–2510140

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (SPLC) और जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (DPLC) के लिए मानव संसाधनः स्थापना, प्रक्रियाएं और नियमों की रूपरेखा

1. राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (एस.पी.एल.सी.) के अधिकारीगण :

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (एस.पी.एल.सी.) के अधिकारीगण यथा निम्नानुसार पदनामित होंगे जिनके पास यथा सूचीबद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक क्षमता होगी और जो यथा सूचीबद्ध शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव और अन्य भर्तियों को पूरा करते हों :

(क) उच्च स्तरीय प्रशासन : मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इसके लिए अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी को सामान्य प्रशासनिक विभाग में राज्य शाासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) मध्य स्तरीय प्रबंधन या प्रशासन : अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इसके लिए किसी संगठन में कम से कम तीन वर्षो का तत्संबंधी अनुभव और मध्य (या उच्च) प्रबंधन स्तर का कम से कम 8 (आठ) वर्षो के अनुभव सहित कम से कम 15 वर्षो का प्रबंधन/प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, जिनका मुख्य कार्य एस.पी.एल.सी.के कार्य से सुसंगत हो, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जायेगा ;

(ग) मैकेनिकल या निर्माण या औद्योगिक इंजीनियरिंग : उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कौशल प्रशिक्षण)

इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कौशल प्रशिक्षण) के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो बी.टेक या बी.ई डिग्री धारक हो और कौशल विकास के क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक अनुभव हो, अथवा जिसके पास एम.टेक या एम.ई. की डिग्री हो और कौशल विकास के क्षेत्र से संबंधित व्यवस्थापकीय या अकादमिक या प्रत्यायित निकाय का अनुभव हो, और कम से कम तीन वर्षों का तत्संबंधी कार्य अनुभव हो।

(घ) वित्तीय कार्य संबंधी लेखा कार्य (एकाउंटेंसी) : उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त एवं लागत)

इस कार्य हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त एवं लागत) के रूप में नियुक्त किया जाएगा जिसके पास एमबीए या समकक्ष डिग्री, अथवा जिसने ICWA

संस्थान की अंतिम परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली हो, और कम से कम तीन वर्षों का तत्संबधी कार्य अनुभव हो।

(टीपः- इस पद को विभाग के द्वारा वित्त विभाग को राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति से एक संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त) की पदस्थापना राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के लिए निवेदन किया गया है, चूकि वित्तीय आबंटन की दृष्टि से उक्त दोनो संस्थाओं में से राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज अधिक बड़ी संस्था है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण में संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त) का एक पद स्वीकृत है परंतु राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त) का पद स्वीकृत है। अतः विभागीय निवेदन के अनुसार राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त) के एक पद का उन्नयन कर संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वित्त) के रूप में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है जिस पर **राज्य शासन को कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा** चूकि एक अधिकारी ही दोनों संस्थाओं का कार्य देखेंगे।)

(ङ) अर्थशास्त्र या सांख्किीय या वाणिज्य : उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (योजना, निगरानी एवं कार्यक्रम मूल्यांकन)

इस हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (योजना, निगरानी एवं कार्यक्रम मूल्यांकन) के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो उपर्युक्त किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हो और जिसे तत्संबंधी कार्य का कम से कम तीन वर्षों का कार्य-अनुभव हो।

(च) सूचना प्रोद्योगिकी : उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी)

इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो कम्प्यूटर साईंस या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बी.टेक. या बी.ई. अथवा एमसीए डिग्री धारक हो, और जिसे कम से कम दो वर्षों का तत्संबंधी र्का अनुभव हो, और उन्हें आवश्यकतानुसार CHIPs चिप्स और /अथवा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की व्यवस्था के तहत् तकनीकी सहयोग/सहायक उपलब्ध रहेगाः

2. निजी सहायक स्टाफ :

राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (एस.पी.एल.सी.) अधिकारी वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी जो स्वयमेव कार्य करने के लिए प्रेरित हों, और समर्पित निजी स्टाफ को

केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए प्रदाय किया जाएगा, जिन्हें दो कार्यकारी सहायक (स्टेनाग्राफर-सह-निजी सहायक) और एक कार्यालय हेल्पर (राज्य शासन में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के समतुल्य) तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुबंधित करेंगे जिन्हें एक कार्यकारी सहायक और एक कार्यालय हेल्पर का भी प्रदाय किया जाएगा।

3. सचिवीय सहायता :

एस.पी.एल.सी. के कार्यालय के लिए सामान्य सचिवीय सहायता/सहायोग हेतु एक सचिवीय पूल अनुरक्षित की जाएगी जिसमें दो कार्यालय सहायक होंगे जो स्नातक होंगे और कम्प्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग और की-बोर्डिंग (टायपिंग) में प्रवीण होंगे और एक कार्यालय हेल्पर होगा।

4. जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (डी पी एल सी) के अधिकारीगण :

डीपीएलसी के अधिकारीगण निम्नानुसार पदनामित होंगे, जो यथा सूचीबद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से सक्षम हों और यथा सूचीबद्ध उल्लिखित शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव और अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों :

(क) कलेक्टर डीपीएलसी के पदेन अध्यक्ष होंगे और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी पी एल सी के पदेन निदेशक/ संचालक होंगे।

(ख) एम बी ए अथवा मेकेनिकल या निर्माण या औद्योगिकी इंजीनियरिंग में बी.ई. डिग्री धारक, जिन्हें तीन वर्षों का कौशल विकास का अनुभव हो या पांच वर्षों का औद्योगिक अनुभव हो, को जिलों में, जहाँ आई टी आई या पॉलीटेक्निक के साथ लाईवलीहुड कॉलेज सह-स्थापित नहीं हैं, लाईवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ग) एम बी ए अथवा मेकेनिकल या निर्माण या औद्योगिकी इंजीनियरिंग में बी.ई. डिग्री धारक, जिन्हें दो वर्षों का कौशल विकास का अनुभव हो या तीन वर्षों का औद्योगिक अनुभव हो, को जिलों में, जहाँ आई टी आई या पॉलीटेक्निक के साथ लाईवलीहुड कॉलेज सह-स्थापित हैं, लाईवलीहुड कॉलेज के सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

5. डी पी एल सी के अन्य स्टाफ :

(क) लाईवलीहुड कॉलेजों में एकाउंटेंट के रूप में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो कामर्स में स्नातकोत्तर डिग्री धारक हों या जिन्होंने ICWA संस्थान की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(ख) महिला छात्रावास के लिए अधीक्षक-सह-कार्यालय सहायक के रूप में ऐसी महिला नियुक्ति की जाएगी जो स्नातक हो और कम्प्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग तथा की-बोर्डिंग (टायपिंग) में प्रवीणता प्राप्त हों। उन्हें अंशकालीन आधार पर महिला छात्रावास संबंधी अपने दायित्वों के अलावा कार्यालय सहायक के कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होगा। अधीक्षक-सह-कार्यालय सहायक को अनिवार्य रूप से लाईवलीहुड कॉलेज कैम्पस में ही निवास करना होगा।

(ग) सचिवीय सहायता :

लाईवलीहुड कॉलेज के लिए सामान्य सचिवीय सहायता के लिए एक कार्यालय सहायक के रूप में सचिवीय पूल का अनुरक्षण किया जाएगा, जो स्नातक होंगे और कंम्प्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग तथा की-बोर्डिंग (टायपिंग) में प्रवीण होंगे और पाँच ऑफिस हेल्पर होंगे (राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के समतुलय), जो महिला छात्रावास की पूर्णकालिक (24 घंटे) सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और अन्य अपेक्षित कार्य निष्पादित करेंगे और एक वाहन चालक (ड्राईवर) होंगे।

6. जिला परियोजना लाइवलिहुड कॉलेज के पद विशेष रूप से जिले के लिए होंगे और ये अहस्तान्तरणीय होंगे।

7. शैक्षणिक योग्ययताएँ, अनुभव और अन्य अपेक्षाएँ :

अधिकारियों की शैक्षणिक योगयताएँ, अनुभव और अन्य अपेक्षाएँ उपर्युक्त पैरा 1 से 4 में यथा उल्लिखित अनुसार होंगे, बशर्तें तथापि कि एस.पी.एल.सी.की शासी निकाय की कार्यकारी समिति के अनुमोदन से इन्हें संशोधित या परिवर्धित किया जा सकता है। उपर्युक्त पैरा 2, 3 एवं 5 में यथा उल्लिखित कर्मियों के लिए शैक्षणिक एस.पी.एल.सी. के शासी निकाय की कार्यकारी समिति द्वारा लिया जाएगा।

8. गैर-कोर सेवा कार्यों की आउटसोर्सिंग :

एकाउंटेंसी, सिक्युरिटी, साफ-सफाई, वाहन प्रावधान और डाक तथा दस्तावेजों की डिलीवरी क्रमशः एकाउंटेंसी, सिक्युरिटी, क्लीनिंग, परिवहन और कुरियर फर्म से

आउटसोर्सिंग की जाएगी, जिनका चयन सेवा संविदा तहत् रूचि की अभिव्यक्ति के खुले आमंत्रण के आधार पर किया जाएगा।

9. योजना/परियोजना-विशिष्ट कर्मी, परामर्शदातागण और व्यावसायिकों का अनुबंधनः

नियमित कर्मियों के अनुबंधन के अलावा, राज्य परियोजना लाईवलीहुड (एस.पी.एल.सी.) और जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज (डी.पी.एल.सी.), योजना/परियोजना - विशिष्ट कर्मियों और परामर्शदाताओं को अनुबंधित करने और साथ ही विशिष्ट व्यावसायिक सेवाओं के लिए व्यावसायिकों को अनुबंधित करने के लिए प्रतिधारक और/अथवा व्यावसायिक शुल्क के भुगतान पर अनुबंधित करने के लिए सक्षम होंगे, बशर्तें कि एस पी एल सी को राज्य शासन के सामान्य बजट से दिए गए अनुदान राशि से इनका भुगतान नहीं किया जाएगा वरन् इनका भुगतान योजना या परियोजना के लिए विशेष रूप से प्रदत्त फण्ड से किया जाएगा। इस प्रकार से अनुबंधित व्यक्तियों के संबंध में भुगतान का मान, अनुबंधन की अवधि और प्रदेय या विचारार्थ विषय का निर्णय योजना/परियोजना फण्ड की अस्तित्वता देयता और फण्ड की उपलब्धता द्वारा विनिर्दिष्ट किसी शर्तों के अधीन लिया जाएगा। उनके चयन, नियुक्ति, परिलब्धियों से संबंधित अन्य प्रावधान नियमित कर्मियों के मामले के समान ही होंगे।

10. नियोक्ता प्राधिकारी और चयन प्रक्रिया :

एस.पी.एल.सी. के सभी कर्मियों के लिए (स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को छोड़कर) नियोक्ता प्राधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। पैरा 4 (ख), 4 (ग) और 5 (क) में भी यथा उल्लेखित डी.पी.एल.सी.होंगे। वे चयन समिति द्वारा किए गए अनुशंसाओं के आधार पर नियुक्तियाँ करेंगे/करेंगी, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नामित एस. पी.एल.सी. के एक अधिकारी (जिनका पद रैंक उस पदरैंक से कम नहीं होना चाहिए जिस पद के लिए चयन किया जाना है) अथवा एस.पी.एल.सी. के शासी निकाय की कार्यकारी समिति के सदस्यों में से सहयोजित एक सदस्य, राज्य शासन में जनशक्ति योजना विभाग के एक प्रतिनिधि (जिनका पद रैंक उप सचिव से कम न हो), और राज्य शासन में वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि (जिनका पद रैंक उप सचिव से कम न हो) निहित होंगे। एस.पी.एल.सी. अधिकारी अथवा कार्यकारी समिति के सदस्य, जैसी भी स्थिति हो,

चयन समिति के संयोजक सह सचिव होंगे। कम से कम दो समाचार-पत्रों में प्रकाशित और एस.पी.एल.सी. के वेबसाईट पर उपलब्ध विज्ञापन के मार्फत आमंत्रित खुले आवेदनों के बाद, और रोजगार एवं स्व-रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र को अधिसूचित करने हेतु रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम, 1959 (क्रमांक 31 सन् 1959) के तहत् किसी भी अपेक्षाओं के अनुपालन के बाद चयन किए जाएँगे।

11. उपर्युक्त पैरा 5 (ख) और 5 (ग) में यथा उल्लेखित पदो ंके लिए नियोक्ता प्राधिकारी अध्यक्ष, डी.पी.एल.सी. (कलेक्टर) होंगे। नियुक्तियाँ चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर किए जाएँगे, जिसमें प्राचार्य/एपीओ (जो समिति के सचिव हो सकते हैं), जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जो समिति के अध्यक्ष होंगे) और जिला रोजगार अधिकारी निहित होंगे। डीपीएलसी के अध्यक्ष चयन समिति में किसी अन्य अधिकारी को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

12. नियमित कर्मियों की परिलब्धियाँ और सेवानिवृत्त या सेवारत शासकीय कर्मचारियों को अनुबंधित करना :

एसपीएलसी और डीपीएलसी के प्रस्तावित नियमित पदों, उनकी परिलब्धियों के मान और मासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण परिशिष्ट- I में दर्शाई गई है। भरती के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम प्रक्रिया को ध्यान मे रखते हुए, परिलब्धियों को बैण्डों में रखा जाएगा अर्थात् यदि चयनित अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव या पद हेतु आवश्यक अन्य अपेक्षाओं के संबंध में यथा निधारित मापदण्डों से अधिक प्रभावी होने की स्थिति में वर्तमान में देय अधिक परिलब्धियों पर (वर्तमान में देय से अधिकतम 20 प्रतिशत के विस्तारण के अधीन) नियोजित किया जाएगा। तथापि, भारत सरकार या राज्य शासन या संघ शासित क्षेत्र या उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, या इस प्रकार के सरकार/शासन द्वारा स्थापित या नियंत्रित या पूर्णरूप से अथवा पर्याप्त रूप से पोषित किसी अन्य निकाय के सेवानिवृत्त

कर्मचारियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सुझाव पर किसी भी पद स्थिति पर नियुक्त किया जा सकता है जिनकी परिलब्धियाँ उनके अंतिम आहरित वेतन से निर्धारित पेंशन की राशि की कटौती के बाद के समतुल्य राशि के बराबर होगी, और इस प्रकार की स्थिति के लिए कोई विज्ञापन जारी किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तथापि अभ्यर्थी की उपयुक्तता और उक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव और किसी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति पर संतुष्टि के पश्चात चयन समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। यथा उपरि उल्लिखित शासन, उपक्रमों और निकायों के सेवारत कर्मचारियों को भी उनके मूल संगठन और एस.पी.एल.सी. के बीच हुए आपसी समझौतों के निबंधनों और परिलब्धियों पर उसी प्रकार से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि किसी खुली भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किसी सेवारत कर्मचारी को यथा विज्ञापित परिलब्धियों और निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति दी जा सकती है। उपरोक्तानुसार अनुबंधित सभी व्यक्ति समय-समय पर राज्य शासन के कर्मचारियों को लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दूरसंचार व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।

13. अनुबंधन की अवधि :

उपरोक्तानुसार अनुबंधित सभी व्यक्तियों को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को छोड़कर, तीन वर्षों की अवधि के लिए करार के माध्यम से अनुबंधित किया जाएगा, यह अवधि अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विस्तारणीय होगा और आरंभिक तीन वर्ष की अवधि के दौरान राज्य शासन के कर्मचारियों को देय बढ़ी हुई महँगाई भत्ता के अनुसार विस्तारण के समय परिलब्धियों के अभिसूचक के साथ अनुबंधित किया जाएगा।

14. आरक्षण :

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में और विकलांग

व्यक्तियों के (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1995) में आरक्षण हेतु प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

15. डीपीएलसी :

कलेक्टर डीपीएलसी के पदेन अध्यक्ष, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीपीएलसी के पदेन निदेशक/संचालक, प्राचार्य/एपीओ डीपीएलसी के पदेन सदस्य सचिव होंगे। जिला स्तर पर जिला रोजगार अधिकारी को पदेन कौशल युवा विस्थापन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना भी प्रस्तावित है। अन्य जि‍ा स्तरीय अधिकारीगण भी छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के तहत् जिला प्राधिकरण की तरह ही निहित होंगे। तथापि, एसपीएलसी के मामले के समान ही, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज (डीपीएलसी) योजना/परियोजना विशिष्ट कर्मियों को अनुबंधित करने के लिए सक्षम होंगे जिसके लिए डीपीएलसी के अध्यक्ष (कलेक्टर), एसपीएलसी के मामले के लिए उल्लेखित दिशा निर्देशों पर और चयन समिति द्वारा, जिसमें प्राचार्य/एपीओ (जो समिति के सचिव हो सकते हैं), जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जो समिति के अध्यक्ष होंगे) और जिला रोजगार अधिकारी निहित होंगे, किए गए अनुशंसाओं के आधार पर अनुबंधित करने के लिए सक्षम होंगे। उनके वेतनमान और अनुबंधन की अवधि का निर्णय जिला प्राधिकारी द्वारा योजना/परियोजना फण्ड-देय अस्तित्वता और फण्ड की उपलब्धता द्वारा निर्दिष्ट किसी भी शर्तों के अधीन किया जाएगा।

\

_ ;-

Annexture - A

Human Resource for the SPLC :State Project Livelihood College and DPLC :

District Project Livelihood College :Set-up, Procedures and Outline of Rules

1. Officers of SPLC :State Project Livelihood College.--Officers of SPLC, having professional competence in the areas listed and fulfilling the qualifications,experience and other recruitments as listed, shall be as designated below:

(a) top level administration, for which a member of the All India Service shall be appointed by the State Government in the GeneralAdministration Department as the Chief Executive Officer;

(b) mid-level management or administration, for which a person with at least 15 years' management/ ,-

administrative experience, including at least eight years at the middle (or higher) management level and at least three years' relevant experience in an organisation whose work is of core relevance to SPLC's work shall be appointed as the AdditionalChief Executive Officer;

(c) mechanical or manufacturing or industrial engineering, for which a person with a Bachelor of Technology or a Bachelor of Engineering and having industry experience relevant to the field of skill development, or a Master of Technology or a Master of Engineering degree and having regulatory or academic or accrediting body experience relevant to the field of skill development, and at least three years' relevant work experience shall be appointed as Deputy Chief Executive Officer (SkillTraining);

(d) finance work accountancy, for which a person with a Master of Business Administration or equivalent degree, or one who has successfully cleared the Indian Cost Work Accountancy Institute's final examination, and having at least three years' relevant work experience shall be appointed as Deputy Chief ExecutiveOfficer (Finance & Costing).

(e) economics or statistics or commerce, for which a person with a postgraduate degree in either subject, and having at least three years' relevant work experience shall be appointed as Deputy Chief Executive Officer (Planning,Monitoring & Programme Evaluation).

(f) information technology, for which a person with a Bachelor of Technology or a Bachelor of Engineering degree in computer science or computer engineering or information technology, or a Master in Computer Applications degree, and having at least two years' relevant work experience, sha ll be appointed as Deputy Chief Executive Officer (Information Technology), and she or he shall receive technical support as necessary under arrangement with CHiPS or/and National Informatics Centre;

2. Personal support staff.--SPLC shall hire as its officers persons who work in a do-it-yourself mode,and dedicated personal staff shall be provided only for the Chief Executive Officer, who shall be provided two Executive Assistants (Stenographer cum Personal Assistants) and one Office Helper (analogous to a Class IV employee in the State Government), and the AdditionalChief Executive Officer, who shall be provided one Executive Assistant and one Office Helper.

3. Secretarial support.--For general secretarial support for SPLC's office, a secretarial pool shall be maintained in the form of two Office Assistants, who shall be graduates and proficient in word processing and keyboarding (typing) on computers,and one Office Helper.

4. Officers of DPLC : Officers of DPLC, having professionalcompetence in the areas listed and fulfilling the qualifications,experience and other requirements as listed,shall be as designated below :

(a) Collector will be ex-officio Chairperson of DPLC,Chief Executive Officer of Zila Panchayat shall be ex

officio Director of DPLC.

(b) Masters in Business Administration or Bachelor of Engineering in mechanical or manufacturing or industrial engineering, and having experience of skill development of three years or having industry experience of five years, shall be appointed as the principal of Livelihood College in the districts where Livelihood Colleges are not collocated with the ITI or polytechnic.

(c) Masters in Business Administration or Bachelor of Engineering in mechanical or manufacturing or industrial engineering, and having experience of skill development of two years or having industry experience of three years shall be appointed as Assistant Project Officer of Livelihood College, in the districts where Livelihood colleges are collocated with the ITI or polytechnic.

5.Other staff of DPLC:

(a) Accountant shall be appointed in Livelihood Colleges having post graduate degree in Commerce or having cleared the Indian CostWork Accountancy institute's final examination.

(b) A woman shall be appointed as a Superintendent-cum-office assistant for the girl's hostel, who shall be a graduate and proficient in word processing and keyboarding (typing) on computer. She shall also perform on a part time basis, the duties of the office assistant, alongside her responsibilities in respect· of the girl's hostel. It is compulsory for the Superintendent-cum-office assistant to reside on the Livelihood College campus.

(c) Secretarial support.--For general secretarial support for Livelihood College,a secretarial pool shall be maintained in the form of one Office Assistant.who shall be a graduate and proficient in word processing and keyboarding (typing) on computer, and five Office Helpers, (analogous to class IV employee the state government) who shall ensure the security for round-the-clock duty for the girl's hostels as well as other work and one driver.

1'

j I

6. Posts for DPLCs shall be district specific and non transferable.

7. Qualifications, experience and other requirements.--The qualifications, experience and other requirements for officers shall be as listed in paragraph 1 and 4 above, provided however that these may be modified or added to with the approval of the Executive Committee of the Governing Body of SPLC. The qualifications, experience and other requirements for personnel listed in paragraphs 2,3 and 5 above shall be decided by the Executive Committee of the Governing Body of SPLC.

8. Outsourcing of non-core service functions.--Accountancy, security, cleaning, vehicle provision, and delivery of post and documents shall be outsourced to an accountancy, security,cleaning,transport and courier firm respectively, which shall be selected on the basis of an open invitation of Expressions of Interest,under a service contract.

9. Scheme/project-specific personnel, consultants, and engagement of professionals.--Besides engaging regular personnel, SPLC and DPLC shall be competent to engage scheme/project-specific personnel and consultants, as well as to engage professionals for specific professional services on payment of a retainer and/or professional fess, provided that they are not paid out of the grants-in-aid given from the general budget of the State Government to SPLC but from funds specifically provided for a scheme or project. The scales of payment,the duration of engagement, and the deliverables or terms of reference for persons so engaged shall be decided by the Executive Committee, subject to any conditions stipulated by the scheme/project fund-giving entity and the availability of funds. Other provisions relating to their selection,appointment,emoluments etc. shall be as in the case of regular personnel.

10. Appointing authority and selection process.--The Chief Executive Officer shall be the appointing authority for all personnel of SPLC (other than the Chief ExecutiveOfficer himself). SPLC shall be the appointing authority for the staff of DPLC mentioned in paragraphs 4 (b),4 (c) and 5 (a) also. She or he shallmake appointments on the basis of recommendations made by a selection committee comprising of one officer of SPLC nominated by the Chref Executive Officer (not lower in rank that the position for which the selection is to be made) or one member co-opted from among the members of the Executive Committee of the Governing Body of SPLC, one representative of the Department of Manpower Planning in the State Government (not lower in rank than a Deputy Secretary),and one representative of the Finance Department in the State Government (not lower in rank than a Deputy Secretary). The SPLC officer or the Executive Committee member, as the case may be, shall be the convener cum secretary to the selection committee. Selections shall be made after openly inviting applications through advertisement published in at least two newspapers and on SPLC's website, and after complying with any requirement under the Compulsory·Notification of Vacancies Act,1959 (31of 1959) for notifying the Employment andSelf-employment Guidance Centre.

'i'

11. Chairperson, DPLC (Collector) shall be the appointing authority for positions listed at paragraphs 5 (b) and 5 (c) above, Appointment shall be based on recommendations made by a selection committee comprising the Principai/APO (who may be the secretary to the committee), the Chief Executive Officer of Zila Panchayat (who shall chair the committee), and the District Employment Officer. The Chairperson of DPLC may include any other officer also in selection committee.

12. Emoluments of regular personnel, and engagement of retired or serving government employees.**The proposed regular positions of SPLC and DPLC, the scales of their emoluments, and the monthly and annual financial implications is at Annexture-1.** In keeping with modern best practices in recruitment,emoluments shall be kept in bands, with emoluments higher than the floor (subject to a maximum· spread of 20% above the floor) being adopted in case the selected candidate is significantly better than stipulated in terms of the qualification, experience or other requirement for the position. However, retired employees of the Government of India or of a State or a Union Territory or of their public sector undertaking, or of any other body established or controlled or fully or substantially financed by such Government, may be appointed to any position at the instance of the Chief Executive Officer, with emoluments equal to the last salary drawn minus pension,and no advertisement shall be necessary in such a case,although recommendation of the selection committee,after satisfying itself as to the suitability of the candidate and fulfilment of qualifications, experience and any other requirements for the position,shall be necessary.Servingemployees of Governments, undertakings and bodies as aforesaid may also be appointed on deputation in like manner, on emoluments and terms mutually agreed to between SPLC and the parent organisation of such employee. However,a serving employee selected through an open recruitment process may be offered deputation on emoluments and terms as advertised. All persons engaged as above shall be entitled to travelling allowance and

reimbursement of telecommunication expenses as per rules applicable to State Government employees •

from time to time.

13. Duration of engagement.--AII persons engaged as above,except for the Chief Executive Officer, shall be engaged through contract, for a period of up to three years, extendable by a further period of up to three years, with indexation of emoluments at the time of extension as per dearness allowance increases allowed to State Government employees during the initial three-year period.

14. Reservations.--Provisions for reservation in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyou,Anusuchit Janjatiyou aur Anya Pichhde Vargou ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (21 of 1994) and the Persons With Disabilities (Equal Opportunities,Protection of Rights and Full Participation) Act,1995 (1of 1995) shall be complied with.

15. DPLC : Collector is ex-officio Chairperson of DPLC,Chief Executive Officer of Zila Panchayat is exofficio Director of DPLC, Principai/APO will be the ex-officio member secretary of DPLC, It is also proposed to appoint the District Employment Officer as the ex-officio Skilled Youth Placement Officer at the district level. Other district level officers will be also involved in the same line of District Authority under CSSDA.However, as in the case of SPLC,the DPLC shall be competent to engage scheme/projectspecific personnel,for which the Chairperson of the DPLC (Collector) shall make appointments on the lines provided for in the case of SPLC, and on the basis of recommendations made by a selection committee comprising the Principai/APO (who may be the secretary to the committee), the Chief Executive Officer of Zila Panchayat (who shall chair the committee), and the District Employment Officer.Their scales of payment and duration of engagement shall be decided by the District Authority, subject to any conditions stipulated by the scheme/project fund-giving entity and the availability of funds.